

21-5-24

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय हाजा को राजस्थान  
 कारतकारी अधिनियम 1955 को सुनने का  
 क्षेत्राधिकार है। जैसा अपील धारा 75- लेण्ड  
 रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत आती है एवं न्यायालय  
 हाजा को इसका क्षेत्राधिकार नहीं होने से।  
 न्यायालय उपरोक्त अधिकारी गिरा को पुनः  
 कौशभा जा रहा है। प्रकरण आगामी पेशी  
 दिनांक 2-7-24 को पेश है।


